(क) कोकिंग कोल का आयात करने की दरखास्त पर किए गए फैसले का ब्यौरा क्या है और यह फैसला किस तारीख को किया गया था ;

(ख) विदेशों से मंगाए जाने वाले कोयले की अनुमानित कीमत कितनी होगी और यह हमारे यहां उत्पादित कोयले से मंहगा है या सस्ता ; और

(ग) क्या आयातित कोयले की कीमत रुपयों में चुकायी जाएगी या विदेशी मुद्रा में और इसकी शर्तें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे) : (क) वर्ष 1981 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को 33 लाख टन कोककर कोयला आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा दी गई थी और दो आयात लाइसेंस दिए गए थे । पहला लाइसेंस 18.4.81 को 10 लाख टन तथा दूसरा लाइसेंस 1.12.81 को 23 लाख टन कोककर कोयले का आयात करने के लिए दिया गया था । इन लाइसेंसों के अन्तर्गत 'सेल' ने वर्ष 1981-82 तथा 1982 83 में कोककर कोयले का आयात किया तथा वर्ष 1983-84 में कोककर कोयले का आयात भी इन आयात लाइसेंसों के अन्तर्गत किया जाएगा । 'सेल' द्वारा कोकलर कोयले का आयात करने से सम्बन्धित कोई भी आवेदन सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा हुआ है ।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने में आयातित कोककर कोयले की औसतन अनुमानित लागत लगभग 911.98 रुपए प्रति टन बैठती है । भिलाई इस्पात कारखाने को सप्लाई किए गए देशीय कोककर कोयले का औसतन मूल्य लगभग 578 रुपए प्रति टन बैठेगा ।

(ग) वर्ष 1983-84 में आस्ट्रेलिया से लगभग 30,000 टन कोककर कोयले का आयात करने की सम्भावना है । इस कोककर कोयले का भुगतान निर्बाध विदेशी-मुद्रा में किया जाएगा : चालू वर्ष में पौलैंड से लगभग 200,000 टन कोककर कोयला आयात किया जाएगा और भारत-पौलैंड व्यापार और अदायगी करार के अन्तर्गत इसका भुगतान रुपए में किया जाएगा । कुल 500,000 टन मात्रा के कोककर कोयले के आयात की अनुमानित लागत लगभग 39 करोड़ रुपए (लागत भाड़ा) होगी । ये करार जहाज तक निष्प्रभार आधार पर किए गए हैं, सुपुर्दगी की अवधि मार्च, 1984 तक है और यदि राख, गन्धक तथा नमी का अंश निर्धारित प्रतिशत से अधिक होना तो इसके लिए दण्ड की भी व्यवस्था की गई है ।

Demand for Bonus to Delhi Police

*410. SHRI RAMJIBHAI MAVANI : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government are considering to give bonus to Delhi Police as has been done in the case of Central Government departments and Defence Services employees ;

(b) if so, the details thereof and when the final decision is likely to be taken;

(c) whether any such demands have been made from any quarter ; and

(d) if so, the details thereof and the action taken thereon ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS. (SHRI P. VENKATSUBBAIAH) : (a) to (d) Orders have since been issued entitling the Delhi Police personnel to ad-hoc bonus on the same lines as announced earlier for the Central Government employees.

Setting up of Village and Cottage Industries in Orissa

*411. SHRI ARJUN SETHI : Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :